अब कोर्ट की क्यों दुहाई दे रहे हो ? ...(व्यवधान) ... अयोध्या में तो मान नहीं रहे हो । ..(व्यवधान)

THE DEPUTY CHAIRMAN: Let us not derail Question Hour. (*Interruptions*) I am not permitting anybody... (*Interruptions*)...

श्री राम दास अग्रवाल : की या नहीं की और अगर नहीं की तो आप क्या कार्रवाई करने जा रहे हैं ? ...(व्यवधान)

श्री अजीत जोगी : इनको कोर्ट से कोई मतलब नहीं है ।..(व्यवधान)..

श्री राम दास अग्रवाल : क्वेशन आवर के बाद बात करेंगे ।

श्री मल्लिकार्जुन : मैडम, इस समय सिविल कोर्ट में 1,586 ..(व्यवधान)

उपसभापति : बैठिए, बैठिए । मंत्री जी बोल रहे हैं ।

श्री मल्लिकार्जुन : अब जहां कोर्ट का आदेश होने के बावजद भी किसी कारण की वजह से अगर वेकेशन नहीं हुआ तो वहां राज्य सरकार की एविक्शन में काफी मदद की आवश्यकता होती है और उस आवश्यकता के लिए इस राज्य की सरकार को ...(व्यवधान) .. अनुरोध करते हैं, आग्रह करते हैं, प्रार्थना करते हैं कि वह हमारी मदद करे ।

उपसभापति : क्वेशचन नम्बर 203 ।

श्री शांति त्यागी : मैडम...

उपसभापति : बहुत से लोग रह गए हैं । कल पूछ लीजिए, बाद में पूछ लीजिए ।

National highway patrolling scheme

*203. DR. SANJAYA SINH: Will the Minister of SURFACE TRANSPORT be pleased to state:

(a) whether the details of the National Highway Patrolling Scheme have since been finalised;

(b) if so, what are the details thereof; and

(c) if not, by wden the scheme is likely to be finalised?

THE MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF SURFACE TRANSPORT (SHRI JAGDISH TYTLER): (a) No, Sir.

(b) Does not arise.

(c) Govt. hope to finalise the Scheme within the next three months.

डा. संजय सिंह : माननीय महोदया, आपके माध्यम से इसी सदन में कुछ दिनों पूर्व इसी सवाल के जवाब में माननीय मंत्री जी ने जवाब दिया था कि राष्ट्रीय राजमार्ग स्कीम को अंतिम रूप दिया जाना बाकी है और सांकेतिक रूप में 1992-93 में एक करोड रुपए के करीब का प्रावधान किया है । आज के सवाल के जवाब में माननीय मंत्री जी ने कहा है कि अगले तीन महीने में इस स्कीम को अंतिम रूप दिए जाने की सम्भावना है । मुझे लगता है कि माननीय मंत्री जी का विभाग चुस्ती से इनका सहयोग नहीं कर रहा है । जैसी कि इनको जानकारी भी होगी कि 1986 में लाखों दुर्घटनाओं में करीब 40 हजार लोगों की जान गई थी और 1991 में करीब 55 हजार लोगों की जान गई है लाखों दुर्घटनाओं में ।

तो मैं माननीय मंत्री जी से एक सवाल यह करना चाहता हूं कि क्या वह आश्वस्त करेंगे कि अगले तीन महीने में उस स्कीम को अंतिम रूप देंगे और दूसरे, जब तक इनकी स्कीम पूरी नहीं होती तब तक संबंधित राज्यों के पुलिस और ट्रांस्पोर्ट डिपार्टमेंट को इस काम में वरीयता से लगायेंगे, जिससे कि जो हजारों-लाखों लोग मर रहे हैं, उसमें कमी आएगी ?

SHRI JAGDISH TYTLER: Sir, I am very much with the hon. Member's concern. It is true that the scheme was started in 1983-84. But, after some time, in 1988, the Government took a particular view and it was discontinued because at some places the scheme was misused and at other places the State Government concerned refused to come out with finance. But, again, a working group was set up in August 1989. Since a lot of

agencies are involved, discussions had to take place with the transport secretaries of the States of Punjab, Haryana, Delhi, Rajasthan and U.P. where the scheme, in the first proposed to be introduced, and also with insurance companies and automobile agencies. Now, I am glad to say that after we have discussed with the Health Ministry, the Communication Ministry and the Home Ministry, on the 4th of August when a meeting is going to take place. We are hopeful that within three months, as I have said, we will be able to finalise it. The Government has already provided Rs. 1 crore in the Budget. I would also like to give some information about the new scheme though honourable Member has not asked for it. The old scheme had a very long list of duties and the State Governments were not coming forward to finance it. In the new scheme, we are considering removal of the victim of accidents straightway for medical treatment and also giving first-aid treatment. Removal of the vehicles involved in accidents is also under consideration because the traffic is stopped for hours together. Some of the roads are so narrow that for days together they are not cleared for traffic. The new scheme also contemplates providing assistance to vehicles which break down on National Highways. I hope we will finalise the new scheme within three months and then we will be able to implement it.

डा० संजय सिंह : माननीय महोदया, मोटर व्हीकल्स एक्टओरिजनल 1939 का है। सरकार में ऐसी कुछ व्यवस्था हो रही थी कि आज के हिसाब से ट्रैफिक तथा कारों और गाड़ियों की तादाद को देखते हुए सड़कों और वाहनों की स्थिति के अनुसार उसमें अमेंडमेंट किया जाएगा। क्या वह अमेंडमेंट हो गया है और उसमें यह सभी प्रावधान हैं जो आज दुर्घटनाएं होती हैं, तमाम सारे ट्रैफिक रूल्स तोड़े जाते हैं, बहुत सारे लोगों की जानें जाती हैं उन सबको रोका जा सके ? अगर एक्ट में अमेंडमेंट हुआ है तो क्या उसमें ऐसा फुल-प्रूफ अरेंजमेंट है ?

SHRI JAGDISH TYTLER: Madam, very soon, I will be presenting a Bill in the Lok Sabha with some changes. I will keep his suggestions in view while doing so.

THE DEPUTY CHAIRMAN: Why Lok Sabha? It could come here also. Why is there this discriminatory treatment?

SHRI JAGDISH TYTLER: Madam, I will be very happy if you take it up in the Rajya Sabha first.

SHRI INDER KUMAR GUJRAL: Madam, it is a matter of grave concern that the number of accidents is mounting, particularly in Delhi itself. The Government has the record which says that 62 per cent of the accidents involve Delhi. I have repeatedly written to him on this subject. May I know whether, in the Union Territory of Delhi, any steps have been taken to see that the accident-prone areas are cordoned off and some effective steps are taken?

SHRI JAGDISH TYTLER: I would like to inform the hon. Member that the Union Territory of Delhi does not come under the Central Ministry. But I will make sure that his suggestions are intimated to the State Government.

श्री विनेश भाई त्रिवेदी : महोदया, मेरा प्रश्न बड़ा ही सीधा, सरल मगर गंभीर है। आशा रखता हूं कि मंत्री महोदय इसको टालने की कोशिश नहीं करेंगे और गंम्भीरतापूर्वक इसका जवाब देंगे। मेरा सवाल ताल्लुक रखता है-- शराब के ठेकों से। हमारे हाई-वे में जहां ढाबे होते हैं, वहां जगह-जगह पर शराब के ठेके बिल्कुल हाई-वे पर पाए जाते हैं। पानी चाहे नहीं मिले, मगर शराब के ठेके आपको जरूर मिलेंगे। वहां लिखा जाता है-- विलायती शराब के ठेके, चिल्ड बियर इत्यादि। आज अखबार में यह भी खबर है कि कोका कोला में रम मिलाकर भी बेचे जाने वाला है और उसकी शायद सरकार अनुमति दे दे। यह बड़ा गंभीर सवाल इसलिए है कि क्या सरकार ने ऐसा कोई अध्ययन कराया है जिसके तहत यह पता चले कि एक्सीडेंट जो होते हैं, उसका और इन शराब के ठेकों से क्या रिश्ता है, क्योंकि ट्रक ड्राईवर को अगर शराब मिल जाए तो वह जरूर पी लेंगे या किसी मोटरिस्ट को मिल जाए तो वह भी जरूर पी लेंगे ?

क्या आपने इस तरह का अध्ययन किया है और अगर किया है तो उसका रीजल्ट क्या है ?

श्री जगदीश टाइटलर : महोदया, पहली बात तो यह है कि कभी भी हमने सवाल को टाला नहीं। जो भी सवाल पिछले एक साल से आप देखेंगे उसका इम्प्लीमेंटेशन हुआ है। आपने कहा कि टालने की कोशिश की है, इसलिए मैं कह रहा हूं।

दूसरी बात यह है कि हम शराब के बिलकुल खिलाफ हैं। हमारी मिनिस्ट्री की तरफ से इसके लिए कदम उठाए गए हैं। क्योंकि यह पाया गया है कि ऐक्सीडेंट्स जो होते हैं काफी हद तक लोग शराब पीकर ट्रक चलाते हैं, इसलिए होते हैं। नेशनल हाइवे की जो सड़क है उसके साथ में जो हिस्सा है वह सेंट्रल गवर्नमेंट के अंतर्गत आता है। जो भी लाइसेंस दिए जाते हैं, जो भी दुकानें खोली जाती हैं वह लोकल स्टेट गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है। हमने स्टेट गवर्नमेंट्स को लिखा है कि वे दुकानें नहीं होनी चाहिए। इनसे बहुत बड़ा नुकसान पब्लिक को होता है। अब जो नया कानून हम ला रहे हैं हाइवेज के बारे में, फैसिलिटीज देने की हम कोशिश कर रहे हैं कि वहां ढाबे हमें भी होंगे, पेट्रोल स्टेशन भी होगा, टेलीफोन सुविधा भी दी जाएगी, वर्कशाप की सुविधाएं भी दी जाएंगी। हम आपको पक्का विश्वास दिलाते हैं कि सेंट्रल गवर्नमेंट जो वे-साइड फैसिलिटीज देगी उसमें शराब का नाम नहीं होगा।

SHRI DINESHBHAI TRIVEDI: Madam, my question about the survey has not been answered. (*Interruptions*)

उपसभापति : उन्होंने कहा है कि वह इस बारे में पता लगाएंगे, तब पूरी बात बताएंगे। अभी बिल भी आ रहा है। अभी उनको क्या मालूम है कि कोका कोला में क्या मिला रहे हैं ... **(व्यवधान)**

He promised that he will do it. He is a Surface Transport Minister.

SHRI JAGDISH TYTLER: Madam, I don't think that a survey is necessary. If he just writes to the State Government, they will be very happy to give him the full details.

SHRI SHIV PRATAP MISHRA: Madam Deputy Chairman, in view of the increasing incidence of Highway crime and prevailing sense of insecurity in the minds of the passengers, it is really commendable that the Central Government has a National Highway Patrolling Scheme. It is unfortunate but true that most of the crimes take place with the connivance of the local police who are hand in glove with the criminals. May I, therefore, know from the hon. Minister whether there is any provision for a Central force to be specially deployed for the purpose of overseeing the implementation of this useful scheme and also to keep an eye on the local police so that they would not indulge in the clandestine connivance?

SHRI JAGDISH TYTLER: Madam, it is a State subject and I cannot answer it.

Role of North-eastern Council

*204. MISS SAROJ KHAPARDE: Will the Minister of HOME AFFAIRS be pleased to refer to the answer to Unstarred Question 243 given in the Rajya Sabha on the 29th April, 1992 and state:

(a) whether Government have since taken any decision to change the role of the North-Eeastern Council;

(b) if so, what are the details thereof; and

(c) if not, what are the reasons therefor?

THE DEPUTY MINISTER IN THE MINISTRY OF HOME AFFAIRS (SHRI RAM LAL RAHI): (a) to (c) The various issues involved are under examination.

MISS SAROJ KHAPARDE: Madam, today, I was very much hopeful that the hon. Home Minister will come out with an affirmative answer. But it is really a great disappointment for me because the answer of the Minister is like a one-line whip in the House. Madam, the North-Eastern Council was set up under the North-Eastern Council Act, in the year 1971, for the integrated socio-economic development of the region, comprising the States of Arunachal Pradesh, Assam, Manipur, Meghalaya, Mizoram, Nagaland and Tripura. The Council is an advisory and technical body. Madam, I have been